

पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण

1— पशुओं से दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए :-

पशु बोल नहीं सकता और न ही अपने कष्ट को व्यक्त कर सकता है इसलिए पशुओं के साथ बरती क्रूरता के निवारण के लिये कानून बनाये गये ताकि पशुओं के प्रति हमारा दोस्ताना व्यवहार हो और उसके साथ हम क्रूरता का व्यवहार न करें। पशुओं की सुरक्षा हेतु राज्य में निम्नांकित मुख्य अधिनियम बनाये गये हैं।

- 1— उत्तराखण्ड गो-वंश संरक्षण अधिनियम - 2007
- 2— उ० प्र० गोशाला अधिनियम - 1964
- 3— उ० प्र० पशुधन सुधार अधिनियम - 1964
- 4— पशु क्रूरता निवारण अधिनियम - 1960

उत्तराखण्ड में गायों एवं गायों के वध के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है। जोकि 19 जुलाई, 2007 से समस्त उत्तराखण्ड में लागू है। इससे पूर्व गो- वध के निवारण हेतु उ० प्र० गो-वध निवारण अधिनियम 1955 ही उत्तराखण्ड में प्रभावी था।

1— गो-वध करना, गो-मांस कब्जे में रखना अपराध है :-

उत्तराखण्ड गो वध संरक्षण अधिनियम के अनुसार "गो-वध" में गाय, बैल, सांड, बछिया अथवा बछड़ा अभिप्रेत है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गो-वध करने, गौ मांस कब्जे में रखने एवं बेचने तथा गो-वंश के शहरी क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण का प्रतिषेध किया गया है।

'वध' से किसी ढंग द्वारा, चाहे जो भी हो, मारना अभिप्रेत है, और इसमें ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना व अपंग करना अथवा विष देना साम्मिलित है, जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करेगा। कोई व्यक्ति गाय का या गौ-वंश का न तो वध करेगा और नही वध करेगा, ना ही ऐसा प्रस्ताव करेगा या प्रस्ताव कराएगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी रूप में गौ-मांस अथवा तत्संबंधी पदार्थ को प्रत्यस अथवा परोस रूप से न तो कब्जे में रखेगा, न ही बेचेगा, न परिवहन के लिए प्रस्तावित करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को धारा - 11(1) के अन्तर्गत तीन वर्ष से दस वर्ष तक की अवधि के धारावास एवं रू० 5000/- से रू० 10,000/- तक के जुमाने से दण्डित किया जाना उपबंधित किया गया है।

2— रोगी अथवा आहत गौ-वंश का वध की अनुमति -

परन्तु ऐसा कोई गो-वंश जो कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किसी असाहय एवं पीड़ासन का परिस्थिति में हो अथवा किसी ऐसे सांस्परिक रोग से ग्रस्त हो, जिसके संक्रमण से पशुधन के साथ-साथ मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो गया हो, तब स्थानीय प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे रोगी या आहत गौ-वंश के वध की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

3— गौ-वंश का परिवहन का विनियमन

धारा-6 में गौ-वंश के परिवहन के विनियमन के विषय में प्रावधान किया गया है। तदानुसार कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान पर बिना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र के गौ-वंश का न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिए प्रस्तुत करेगा। और न परिवहन करायेगा। परिवहन हेतु अनुमति केवल गौ वंश के पालन, संरक्षण या संम्बर्धन के लिए प्रदान की जा सकती है। सक्षम अधिकारी संन्तुष्ट होन पर प्रत्येक गौ-वंश के लिए रू० 500/- शुल्क का संचय करने पर अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा। गौ-वंश के राज्य के बाहर परिवहन हेतु प्रत्येक जनपद का जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।

यदि कोई व्यक्ति बिना अनुक्षा-पत्र के गौ-वंश का परिवहन करेगा तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के धारावास तथा जुर्माना, जो न्यूनतम रू0 2000/- एवं अधिकतम रू0 2500/- प्रति गौ-वंश तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

4- गौ-वंश के स्वतंत्र विचरण का प्रतिषेध

कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र (नगर निगम नगरपालिका) में गौ-वंश को आवारा नहीं छोड़ेगा तथा गाय को डुडने के पश्चात स्वतंत्र विचरण नहीं करने देगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में गौ-वंश पालन के लिए सम्बन्धित नगर के मुख्य नगर अधिकारी अधिशासी अधिकारी से गौ-वंश के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा तथा रेडियो फ़िवेन्सी पहचान अथवा इससे बेहतर किसी तकनीक से, प्रत्येक गौ-वंश की व्यक्तिगत पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त उपवधी का उल्लंघन किये जाने पर धारा - 7,8/11(3) के अन्तर्गत न्यूनतम एक सप्ताह से अधिकतम एक माह तक के साधारण धरावास या एक हजार रुपये तक जुर्माने से प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

5- अलाभकर गायों की देख-रेख के लिए संस्थायें स्थापित करना:-

राज्य सरकार तथा कोई गैर सरकारी संस्था अलाभकर गायों (भटकती हुई दुर्लभ, असाहय रूप अथवा बन्ध्या गाय) के लिए आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित कर सकेगी। परन्तु गैर सरकारी संगठनों के संस्थायें स्थापित करने से पूर्व सूचना विहित प्ररूप पर जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के देनी होगी। अलाभकरी गौ-वंश के संस्थाओं में रखे जाने पर उसके परिवहन, भरण पोषण और चिकित्सा आदि व्यय जिला माजिस्ट्रेट द्वारा विहित की जाने वाली दरों पर गौ-वंश के स्वामी द्वारा संबंधित संस्था के भुगतान करना होगा।

6- गोशालाओं का प्रबन्ध एवं नियंत्रण करने सम्बन्धी विधि :-

उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 के अन्तर्गत गोशालाओं के अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्ध तथा नियंत्रण का प्राविधान किया गया है। गोशाला से तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण-पोषण करने के प्रयोजन से अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह राज्य में एक संघ स्थापित करायें, जो प्रदेश में गोशाला संघ कहलायेगा और संघ में गोशालाओं के न्यासियों के द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किये गये उतने व्यक्ति होंगे जितने नियत किये जायें। राज्य में स्थापित सभी गोशालाओं का विवरण इस प्रदेश गोशाला रजिस्टर में रखा जायेगा जिसमें निबन्धक द्वारा किसी भी समस्या तो स्वयं या गोशाला में स्वत्व रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा नियत रीति से जाँच की जाती है।

7- बिना अनुमोदित सांड को पालना अपराध है :-

उ0 प्र0 पशुधन सुधार अधिनियम 1964 प्रदेश में पशुधन के सुधार की व्यवस्था करने हेतु बनाया गया है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सांड नहीं पालेगा जो अनुमोदित सांड न हों। पशुधन अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति से जो अनुमोदित सांड पालता है, निरीक्षण के लिये सांड को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और तदोपरान्त वह व्यक्ति उसे निरीक्षण के लिये नियत दिनांक पर ऐसे समय तथा स्थान पर प्रस्तुत करेगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाये, बशर्ते निरीक्षण उसी गाँव अथवा नगर में होगा जिसमें सांड पालने वाला व्यक्ति सामान्यतया रहता हो। इस प्रकार यदि सांड निरीक्षण करने पर पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सांड प्रयोजनों के काम में लाये जाने योग्य है और वह दोषपूर्ण या निम्न स्वरूप का नहीं है या असाध्य प्रकार के ऐसे सांसर्गिक या सांक्रमिक रोग से या किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिससे कि सांड जनन प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो जाय और उक्त क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित न किया गया हो तो वह उस सांड को अनुमोदित सांड के रूप में प्रमाणित करेगा और तदर्थ नियत चिन्ह से उसे दगवायेगा। यदि निरीक्षण करने पर पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि कोई सांड प्रमाणित किये जाने या दागे जाने में उपयुक्त नहीं है तो वह लिखित आज्ञा द्वारा सांड पालने वाले व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह

सांड को ऐसी अवधि में बढ़िया करा लें, बढ़िया करने का कार्य पशुधान अधिकारी करेगा या करवायेगा और जब तक सांड का स्वामी या उसको पालने वाला अन्य व्यक्ति आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं की इच्छा प्रकट न करें, इस अधिनियम के अन्तर्गत पशुधन अधिकारी ऐसे रजिस्ट्रारों को रखेगा या रखवायेगा जिनमें सांडों के निरीक्षण, बढ़िया किये जाने, प्रमाणीकरण और दागे जाने के विवरण तथा अन्य सूचनायें दी जायेगी। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से जिसका अभिप्राय धोखा देकर किसी सांड को दागता है या दगवाता है तो उसे 3 माह का कारावास या 500/- रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया जा सकता है परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का संज्ञान तभी लिया जा सकता है जबकि पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया जाये तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

8— पशुओं को पीड़ा या यातना देना अपराध है :-

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के लिए पशु निर्दयता निवारण सम्बन्धी विधि को सृजित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशु से तात्पर्य मनुष्य से भिन्न कोई प्राणधारी जीव से है। इसी प्रकार बन्द पशु से तात्पर्य कोई भी ऐसे पशु से है जो पालतू नहीं है, जो बन्दी अवस्था या बन्धन वह चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी रूप में हो अथवा जिसे बन्दी अवस्था या बन्धन से उसके पलायन को अवरुद्ध या निरुद्ध करने हेतु किसी उपकरण या युक्ति के अधीनस्थ किया गया हो अथवा जिसके पंख काटे गये हों अथवा जिसे अपंग किया गया हो या किया गया प्रतीत होता हो। इसी प्रकार पालतू पशु से तात्पर्य कोई भी पशु से है जिसे पाला गया है अथवा जिसे मनुष्य के उपयोग के हेतु किसी प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए पर्याप्ततः पालतू कर लिया गया है या किया जा रहा है, पालतू पशु कहलायेगा। किसी भी पशु का प्रभार धारण करने या देख-रेख करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशु के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु तथा ऐसे पशु को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त उपाय करें।

इस अधिनियम से यह भी अपेक्षा की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड का गठन किया जाय ताकि यह बोर्ड पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण के लिए भारत में प्रवृत्त विधि का निरन्तर अध्ययन करते रहे तथा समय-समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधन पर शासन को परामर्श देता रहे।

सामान्यतः पशुओं के प्रति आवश्यक पीड़ा या यातना का निवारण करने की दृष्टि से और विशेषतः जबकि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा हो अथवा जबकि उनका प्रयोग करतब दिखाने वाले पशुओं के रूप में किया जाता है अथवा तब जब कि उन्हें बन्दी अवस्था में बन्धन में रखा जाता है, इस अधिनियम के अधीन नियमों के बनाने में केन्द्रीय सरकारी को परामर्श देना भी बोर्ड का कार्य है।

9— वध शालाओं में क्या सर्तकता बरतना आवश्यक है :-

वध-शालाओं की रूपरेखा अथवा वध-शालाओं के साधारण से विषय पर अथवा पशुओं के हनन के सम्बन्ध में सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को परामर्श देना, ताकि वध से पूर्व की अवस्थाओं में आवश्यक पीड़ा या यातना जो चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो यथा-सम्भव दूर किया जा सकें और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पशुओं की हत्या यथा-सम्भव मानुषिक ढंग से की जाये।

ऐसी समस्त कार्यवाही करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड उपयुक्त समझे कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जब तभी ऐसा करना आवश्यक हो, अवांछनीय पशुओं को या तो तत्काल या पीड़ा अथवा यातना से संज्ञाहीन किये जाने के पश्चात् विनष्ट किया जाये।

10— सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा गृह पशु एवं पशु आश्रम स्थल बनाने के लिए प्रेरित करना :-

आर्थिक सहायता के अनुदान द्वारा या अन्यथा पिंजरापोल, बचाव-गृह, पशु आश्रय, शरण्य-स्थल इत्यादि पाये जाने और स्थापित करने को प्रोत्साहित करना, जहाँ पशु या पक्षी, जबकि वे वृद्ध और निरूपयोगी हो गये हों जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, आश्रय पा सकें। पशुओं को आवश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के प्रयोजनार्थ अथवा पशु और पक्षियों के अनुसरण के लिए स्थापित संस्थाओं एवं निकायों के साथ सहयोग करना और कार्यों का समन्वय करना। किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने वाले पशु कल्याण संस्थाओं को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में पशु कल्याण संस्थाओं के विरचन को प्रोत्साहित करना जो बोर्ड की सामान्य देख-रेख और निर्देशन के अधीन कार्य करें। चिकित्सीय देखभाल तथा सावधानी सम्बन्धी मामलों में जिनकी कि व्यवस्था पशु अस्पतालों में

की जा सकें। सरकार को परामर्श देना तथा पशु अस्पतालों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना जब कभी बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझें।

11— पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु शिक्षा प्रदान करना :-

पशुओं के साथ सभ्य व्यवहार के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करना तथा व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचार-पत्रों, चलचित्र इत्यादि के माध्यम से पशुओं को आवश्यक पीड़ा या यातना पहुँचाये जाने के विरुद्ध एवं पशु कल्याण के उत्कर्ष के लिए जनमत बनाने में प्रोत्साहन देना। पशु कल्याण अथवा पशुओं को पहुँचाने वाली आवश्यक पीड़ा या यातना के निवारण से सम्बद्ध किसी भी विषय में सरकार को परामर्श देना बोर्ड के कर्तव्य होंगे।

12— पशुओं के प्रति कौन-कौन से व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में आते हैं :-

पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना अपराध है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत निम्नांकित कृत्य पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की श्रेणी में आते हैं :-

- क- यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को पीटता है, लात मारता है, दौड़ा-दौड़ा कर थका डालता है, बहुत बोझ लाद लेता है, शारीरिक यंत्रणा देता है अथवा अन्यथा उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत करे अथवा किसी पशु के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है अथवा स्वामी होते हुये, होने देता है।
- ख- किसी पशु को किसी ऐसे काम या परिश्रम में या किसी प्रयोजन के लिए लगाता है जो अपनी आयु या किसी रोग, निर्बलता, घाव, फोड़ा, फुन्सी के कारण अथवा अन्य किसी कारण से इस प्रकार के काम में लाये जाने के उपयुक्त नहीं है अथवा स्वामी हुये, ऐसे किसी सक्षम पशु को इस प्रकार काम में लाये जाने की अनुमति देता है अथवा
- ग- जानबूझकर तथा अयुक्तियुक्त रूप से किसी पशु को हानिकारक औषधियाँ या पदार्थ खिलाता-पिलाता है अथवा जान-बूझकर किसी पशु द्वारा ऐसी अवधि या पदार्थ ग्रहण किये जाने का कारणभूत होता है या होने का कारणभूत होता है या होने का प्रयास करता है अथवा
- घ- किसी पशु को चाहे यान में या उस पर अथवा नहीं, इस रीति या स्थिति में वहन करता है या ले जाता है जिससे कि वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हो अथवा
- ङ- किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या भाजन में रखता है या बन्द करता है जिसकी ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने-डुलने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सके अथवा
- च- किसी पशु को अयुक्तियुक्त काल तक जंजीर या रस्सी से बाँधे रखता है अथवा अयुक्तियुक्त रूप से छोटी या अयुक्तियुक्त रूप से भारी जंजीर या रस्सी से बाँधकर रखता है अथवा
- छ- स्वामी होते हुये, किसी कुत्ते को जो नित्यतः जंजीर में बाँधा रहता है या संकीर्ण परिरोध में रखा जाता है, युक्तियुक्त रूप में घुमाने-फिराने या घुमवाने या फिरवाने में अवहेलना करता है अथवा
- ज- किसी पकड़े हुये पशु का स्वामी होते हुये उस पशु को पर्याप्त खाना पीना या आश्रय नहीं देता है, अथवा
- झ- युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पशु का इन परिस्थितियों में परित्याग करना जिनसे यह सम्भाव्य हो जाता है कि उसे भूख और प्यास के कारण पीड़ा सहन करनी होगी अथवा
- ञ- किसी पशु को जिसका कि वह स्वामी जान-बूझकर किसी सड़क पर मुक्त रूप से जाने देता है जबकि वह पशु संक्रामक रोग से ग्रस्त अथवा युक्तियुक्त कारण के बिना किसी रोगग्रस्त या अपंग पशु को जिसका कि वह स्वामी है, किसी सड़क पर मरने देता है अथवा

- ट- किसी ऐसे पशु को विक्रय के लिये प्रदर्शित करता है या युक्तियुक्त करने के बिना अपने आधिपत्य में रखता है जो कि अंग-विच्छेद, भूख, प्यास, अतिसंकुल या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त है अथवा
- ठ- किसी पशु को विकृत करता है या किसी पशु को (आवारा कुत्तों को सम्मिलित करते हुए) हृदय में स्ट्राइकनाइन इंजेक्शनों की पद्धति के प्रयोग द्वारा अथवा किसी अन्य अनावश्यक रूप से निर्दयतापूर्वक रीति में भार डालता है, अथवा
- ड- केवल मनोरंजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से -
 (1) किसी पशु का निरोधन करता है या कराता है (किसी टाइगर या अन्य अभ्यारण में चारे के रूप में किसी पशु को बाँधने को सम्मिलित करते हुये) जिससे कि वह किसी अन्य पशु को आहार बन सकें, या
 (2) किसी पशु को लड़ने या अन्य पशु को सताने को उद्दीप्त करता है अथवा
- ढ- अपने व्यापार के प्रयोजनार्थ पशु युद्ध या किसी पशु को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान कोप विन्यस्त करता है प्रयोग में लाता है या उसके प्रबंध में कार्य करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी स्थान को प्रयोग में लाये जाने की अनुज्ञा देता है या प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे किन्हीं प्रयोजनों से लिये रखे गये या प्रयोजित किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिये धन प्राप्त करता है, अथवा
- ण- किसी लक्ष्यभेद प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्द्विता को दुष्प्रेरित करता है या उसमें भाग लेता है जिसमें कि ऐसे लक्ष्य भेद के प्रयोजनार्थ पशुओं को बन्दी अवस्था से मुक्त किया जाता है।

वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से जो दस रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रुपये तक को हो सकेगा तथा पहले अपराध से तीन वर्ष के भीतर कारित किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जुर्माने से जो पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक को हो सकेगा या तीन मास तक की अवधि के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा।

13- पशुओं को इन्जेक्शन देकर दूध प्राप्त करना अपराध है :-

यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दूध देने वाले पर फूँका या दूमदेव कहलाने वाली क्रिया या दूध देने के सुधार की कोई अन्य क्रिया (किसी पदार्थ के इंजेक्शन सम्मिलित करते हुये) को प्रयोग करता है अथवा अपने कब्जे के अधीन या नियन्त्रणाधीन ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया होने देता है, तो वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दो वर्ष की अवधि का कारावास से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और उस पशु को जिस पर ऐसी क्रिया की गई है सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिया जायेगा।

14- पशुओं का करतब दिखाने में प्रयोग करना निषेध है :-

इस अधिनियम की धारा-22 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी करतब दिखाने वाले पशु को जब तक कि वह इस अध्याय के उपबन्धों के अनुरूप रजिस्ट्रीकृत न हो, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में किसी पशु को जिसे कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे पशु के रूप में विनिर्दिष्ट करे कि करतब दिखाने वाले पशु के रूप में, प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया -

1- किसी करतब दिखाने वाले पशु को प्रदर्शित या प्रशिक्षित करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, विनिर्दिष्ट फार्म पर आवेदन-पत्र देने पर तथा विहित शुल्क का शोधन करने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हों जो इस अध्याय के अधीन पारित न्यायालय के आदेश के कारण, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किये जाने को अधिकारी न हो।

2- इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र में पशुओं के संबंध में तथा उन खेल तमाशों की सामान्य प्रकृति के सम्बन्ध में जिनमें कि पशुओं का प्रदर्शन किया जाना है अथवा जिनके लिए कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, ऐसे विवरण अन्तर्विष्ट होंगे जैसे कि विहित किए जाएँ और इस प्रकार दिये गये विहित प्राधिकारी द्वारा संधारित पंजी में प्रविष्ट किए जायेंगे।

3— विहित प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति जो जिसका कि नाम उसके द्वारा रखी गई पंजी में है विहित प्रपत्र पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र देगा जिसमें रजिस्टर में प्रविष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होंगे।

4— इस अध्याय में अधीन रखे जाने वाले प्रत्येक रजिस्टर समस्त युक्तियुक्त समयों पर विहित शुल्क देने पर, उसकी प्रतिलिपियाँ अभिप्राय करने, अथवा उनके संक्षिप्त-उद्धरण तैयार करने का अधिकारी होगा।

5— कोई भी व्यक्ति जिसका नाम पंजी में है, न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अधीन तद्प्रयोजनार्थ आवेदन-पत्र देने पर, अपने सम्बन्ध में पंजी में प्रविष्ट विवरणों को परिवर्तित करने का अधिकारी होगा और जहाँ कि कोई ऐसे विवरण इस प्रकार परिवर्तित किये जायें तब विद्यमान होगा और जहाँ कि कोई ऐसे विवरण इस प्रकार परिवर्तित किये जायें तब विद्यमान प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और नया प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

15— पशु हमारी राष्ट्र की संपदा है :-

पशु हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे सेवक भी हैं क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण आधार पोष्टिक आहार है, जो हमारे बच्चों को पशुओं से ही प्राप्त होता है। यदि गाय-भैंसे नहीं होती तो हमें दूध भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमें पशुओं का ऋणी होना चाहिए और जो भी उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार करें उसको दण्डित किया जाना चाहिए। असहाय पशुओं को शरण देना हमारा कर्तव्य है। पशु राष्ट्र की महत्वपूर्ण धन सम्पदा है जिनकी सुरक्षा के लिये कानून तो बनाये गये हैं परन्तु उनका लाभ पशुओं को नहीं मिल पाता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जब भी पशु संकट में हों तो हमें उनके संकट के निवारण के लिए अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में जहाँ पशुओं के कल्याण के लिए जानकारियाँ दी गई हैं वहीं हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधिक ज्ञान से निष्चय ही पशुओं को लाभ पहुँचायेंगे जो पशुओं के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा निवासी

विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
 2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
 - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
 - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
 - (ग) स्त्री या बालक
 - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
 - (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
 - (च) औद्योगिक कर्मकार
 - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
 - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
 4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
 5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
 - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
 - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
 - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
 - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
 - (5) केवल विधिक परामर्श
- मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊंगा/छुपाऊंगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला

पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला-1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला-2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला-3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला-4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला-5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला-6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला-7 वैध्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला-8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला-9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला-10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला-11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला-12 भरण-पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला-13 उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला-14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला-15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला-16 मानवाधिकार एवं विकलांगों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला-17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला-18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दण्डक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला-19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला-20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला-21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला-22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला-23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला-24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला-25 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला-26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला-27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला-28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला-29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला-30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला-31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला-32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला-33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला-34	पुलिस शिकायत प्राधिकरण: एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला-35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला-36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला-37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला-38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला-39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला-40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला-41	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला-42	शिक्षा का अधिकार- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला-43	समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला-44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला-45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला-46	आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला-47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला-48	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्दमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्दमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रुपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोट:- क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :-

सभी जिलों में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य-सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल